अनुसूची 14 – फारम सं0 563

क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, राँची

(विधि शाखा)

सी0 सी0 ए0 वाद सं0 –68/16–17

सरकार

–बनाम–

मो0 शाहिल तरून्नुम उर्फ सरफराज अंसारी उर्फ अमीत कुमार सिंह

आदेश

23
30.1.18

वरीय पुलिस अधिक्षक, राँची ने अपने पत्रांक 18/डी0सी0बी0 दिनांक 04.01.2017 के माध्यम से कुख्यात अपराधकर्मी मो0 शाहिल तरून्नुम उर्फ सरफराज अंसारी उर्फ अमीत कुमार सिंह पे0 अब्दुल सत्तार, सा0 ईरबा, थाना ओरमांझी, जिला राँची के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम – 2002 (अंगीकृत) धारा 3 (a)(b)(i)(ii) के तहत्त जिला निष्कासन हेतु प्रस्ताव समर्पित किया, जिसका आवलोकन किया। इस अपराधकर्मी पर वर्तमान मे (1) लालपुर थाना काण्ड सं0 – 67/09 दिनांक 01.04.2009 धारा 25 (1–बी0)ए0/26/35 आर्म्स एक्ट, (2) बरियातु थाना कांड सं0 142/10 दिनांक 15.10.2010 धारा 467/468/471/420/120 (बी0) भा0 द0 वि0, (3) सदर थाना काण्ड सं0 526/15 दिनांक 17.11.2015 धारा 302/34 भा0 द0 वि0, (4) सदर थाना दैनिकी संख्या 27 दिनांक 29.12.2016, सदर थाना दैनिकी सं0 16 दिनांक 31.12.2016 दर्ज है। आरोप पत्र समर्पित है।

वरीय पुलिस अधिक्षक, राँची ने प्रतिवेदित किया कि मो0 शाहिल तरून्नुम उर्फ सरफराज अंसारी उर्फ अमीत कुमार सिंह एक कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी है। इनका मुख्य पेशा हत्या करना, ठिकेदार एवं व्यवसायियों से रंगदारी की माँग करना तथा हथियार के बल पर आम लोगो के बीच दहशत एवं आतंक फैलाना अन्य अपराध है। पुलिस के द्वारा यदि कोई कार्रवाई इनके विरूद्ध की जाती है तो इनके दहशत एवं भय के कारण कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध गवाही देने हेतु न्यायालय में जाने का हिम्मत नही कर पाता है। फलस्वरूप ये आसानी से जेल से छुट जाते है इनके क्रियाकलापों से संबंधित कई कांड भी इनके विरूद्ध दर्ज है। इनके बाहर रहने से लोक शांति एवं लोक व्यवस्था पर प्रतिकुल प्रभाव पडता है।जिससे इनका असमाजिक तत्व होना प्रमाणित होता

क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गइ कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

है। जिससे आम लोगो मे आतंक एवं भय का महौल व्याप्त हो रहा है। साथ ही साथ उनके द्वारा क्षेत्र मे अपराधिक कार्य कारित करने तथा कोई अप्रिय घटना को अंजाम दिये जाने की आशंका से भी भयभीत है। ऐसे मे लोक व्यवस्था पर प्रतिकुल प्रभाव पडने की संभावना बनी हुई है। जिससे लोक व्यवस्था पर व्यापक असर पड सकता है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक मे झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम – 2002 (अंगीकृत) धारा 3(1)(a)(b)(i)(ii) के अन्तर्गत अपराधकर्मी से कारणपृच्छा मांगा गया।

प्रस्तुत मामले मे विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार उपरोक्त वर्णित काण्डो मे लालपुर थाना कांड सं0 67/2009 मे सभी गवाहो का परिक्षण हो चुका है तथा वर्त्तमान मे उक्त वाद सत्र न्यायालय मे विचाराधिन है। इसी प्रकार बरियातु थाना कांड सं0 142/10 मे पुलीस के गवाहों का परिक्षण हो चुका है एवं सदर थाना काण्ड सं0 526/2015 मे भी सभी गवाहो का परिक्षण हो चुका है। विपक्षी के असमाजिक तत्व होने से संबंधित कोई साक्ष्य पुलीस द्वारा नही लाया गया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं प्रतिवेदन के आवलोकन से स्पष्ट है कि इनके द्वारा कारित अपराध भ0 द0 स0 के अध्याय XVI एवं XVII की श्रेणी के है जो जो झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 (अंगीकृत) की धारा 2 (क) के तहत्त इनके असमाजिक तत्व होने का द्योतक है एवं इनके कृत्य से लोक व्यवस्था एवं लोक प्रशान्ति के भंग होने की प्रबल संभावना है। जबकि विपक्षी द्वारा दाखिल कारणपृच्छा स्वीकृत करने का कोई आधार नही है। अतः विपक्षी के कारणपृच्छा को अस्वीकृत किया जाता है।

अतः वरीय पुलीस अधीक्षक, रॉची के प्रस्ताव एवं अनुशंसा मे अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एंवं समग्र समीक्षा क उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले मे लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुण्ण रखने के निमित अपराधकर्मी मो0 शाहिल तरून्नुम उर्फ सरफराज अंसारी उर्फ अमीत कुमार सिंह पे0 अब्दुल सत्तार, सा0 ईरबा, थाना ओरमांझी, जिला रॉची को इस जिले से निष्कासन करना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 3 (3) (a) मे अंकित प्रावधानों के आलोक मे अपराधकर्मी मो0 शाहिल तरून्नुम उर्फ सरफराज अंसारी उर्फ अमीत कुमार

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

(8)

क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

सिंह पे0 अब्दुल सत्तार, सा0 ईरबा, थाना ओरमांझी, जिला राँची को दिनांक 16.2.18 से अगले छः माह अर्थात 15.8.18 तक की अवधी के लिए इस जिले से निष्कासित करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 (अंगीकृत) की धारा 3 (1) (b) के तहत्त आदेश दिया जाता है कि वे रू0 25,000.00 का बंधपत्र (with two sureities) दिनांक 30.1.18 से 15.2.18 तक दाखिल करेंगें कि वे दिनांक 16.2.18 से अगले छः माह तक अर्थात दिनांक 15.8.18 तक राँची जिले मे प्रवेश नही करेंगें। उक्त आदेश के अनुपालन नही किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 (अंगीकृत) की धारा 7 (2) (b) के कार्रवाई की जायेगी। विपक्षी मो0 शाहिल तरून्नुम उर्फ सरफराज अंसारी उर्फ अमीत कुमार सिंह पे0 अब्दुल सत्तार, सा0 ईरबा, थाना ओरमांझी, जिला राँची झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 (अंगीकृत) की धारा 4 के तहत्त आवश्यकता होने पर Permission to return temporarily हेतु इस न्यायालय मे आवेदन समर्पित कर अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगें।

इस आदेश की प्रति मो0 शाहिल तरून्नुम उर्फ सरफराज अंसारी उर्फ अमीत कुमार सिंह पे0 अब्दुल सत्तार, सा0 ईरबा, थाना ओरमांझी, जिला राँची एवं जिले के सभी थाना प्रभारियों को वरीय पुलीस अधीक्षक, राँची के माध्यम से अनुपालनार्थ भेजा जाए। विधि व्यवस्था एवं महत्वपूर्ण कार्यों मे व्यस्तता के कारण पूर्व मे आदेश पारित नही किया जा सका।

(हस्ताक्षर) 30/1/18
जिला दण्डाधिकारी
राँची

लेखातिप एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 30/1/18
जिला दण्डाधिकारी
राँची

ज्ञापांक 400 (II) दिनांक 6.2.18
(i) प्रतिलिपि: वरीय पुलिस अधीक्षक राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
(ii) प्रतिलिपि: मो0 शाहिल तरन्नुम उर्फ सरफराज अंसारी उर्फ अमीत कुमार सिंह पे0 अब्दुल सत्तार सा0 ईरबा थाना ओरमांझी जिला राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 5/2/18
प्रभारी उपसमाहर्ता, ओरमांझी

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.11.28 23:19:31 -08:00
Location: 192.168.1.4